

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक F.11(19)UDH / DIDWANA / 2024-09679

जयपुर, दिनांक:—यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार डीडवाना (जिला डीडवाना—कुचामन) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष—2045 तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर, को नियुक्त करती है :—

| क्रम संख्या | राजस्व ग्राम का नाम |
|-------------|---------------------|
| 1.          | डीडवाना             |
| 2.          | मण्डाबासनी          |
| 3.          | अमरपुरा             |
| 4.          | आजवा                |
| 5.          | पाटन                |
| 6.          | एलिचपुरा            |
| 7.          | पठानों का बाढ       |
| 8.          | आसकीढाणी            |
| 9.          | शेखाबासनी           |
| 10.         | बालिया              |
| 11.         | चक खारड़ा           |

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, डीडवाना—कुचामन।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
- आयुक्त, नगर परिषद्, डीडवाना।
- सहायक निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम